झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 09 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मतीन अँसारी,
ग्रा0- आशाडीह, पो0-सिन्दुरी, नारायणपुर, जामताड़ा।

DISPOSED
18/02/22

बनाम

प्रतिवादी DSO, जामताड़ा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
04/02/2022	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्री मतीन अंसारी, ग्राम–आशाडीह, पो0–सिन्दूरी, थाना–नायाणपुर, जामताड़ा, दूरभाष सं0–6238116598** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने संबंधी आवेदन लंबित रहने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज की गई है। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA / 120 / 2021 दिनांक–28.12.2021 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन एक माह बाद भी अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–18.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। प्रतिलिपि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित किया जाय। 4/4/22 शिकायतकर्ता Whatsapp Video call के माध्यम से उपस्थित होंगे। उन्हें सूचित कर दिया जाए। 14/4/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश .docx17

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18/2/2022	आज दिनांक–18.02.2022 को केस संख्या–09/2022 की सुनवाई की गई। वादी के रूप में शिकायतकर्त्ता श्री मतीन अंसारी, ग्राम–आशाडीह, पोस्ट–सिन्दूरी, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा, ऑनलाइन व्हाटसएट्प विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री प्रभाकर मिर्धा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नारायणपुर, जामताड़ा उपस्थित हुए। शिकायतकर्त्ता श्री मतीन अंसारी का कहना है कि उनके राशन कार्ड में उनकी पत्नी का नाम जोड़ दिया गया है। उनकी पत्नी का नाम नूरजहां खातुन है। एवं उन्होंने जो आवेदन दिया था उसमें सुलोचना का विवरण था। जो भूलवश नूरजहां के जगह सुलोचना हो गया था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि सुलोचना का नाम जोड़ने से संबंधित कोई भी आवेदन जिला को नहीं मिला है। श्री मतीन अंसारी द्वारा बताया गया कि उनका भी नाम राशन कार्ड में नही है। उपस्थित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने सूचित किया कि श्री मतीन अंसारी का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ दिया गया है। अपीलकर्त्ता का पक्ष सुनने के बाद एवं जिला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की पुष्टि भी श्री मतीन अंसारी से करने के बाद केस की सुनवाई समाप्त की जाती है। संबंधित पक्षों को इस आशय की सूचना दे दें। Sd/- 18.2.22 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 18/2/2022 (हलधर महतो) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx5